Total Number of Registered Labourers

Question No.*37 SH. RAM KUMAR, (MLA-INDRI): Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state the block-wise number of registered labourers in Distt. Karnal as on date?

Reply of Shri Anoop Dhanak, Minister of State for Labour and Employment, Haryana

Total numbers of registered workers in District Karnal are listed below:

(i) Number of labourers in factories: 44,400

(ii) Number of labourers in shops and establishments: 34,623

(iii) Number of labourers in Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board: 29,643

(iv) Currently Block-wise data of labourers is not collected. However, Tehsil-wise data is available regarding Haryana Building and Other Construction Workers', which is as below:

Assandh	2029
Gharaunda	4786
Indri	4040
Karnal	15293
Nilokheri	3495

.

NOTE FOR PAD

1. **The Factories Act, 1948**

   The Act regulates the conditions of work inside factories. It is obligatory on the part of the employer to provide for the health, safety and welfare to the workers employed.

2. **The Punjab Shops & Commercial Establishment Act,1958 (State Act)**

   It provides for the regulation of conditions of work and employment in Shops and Commercial Establishments. It has provisions for welfare, health and safety for workers working in Shops and Commercial Establishments.

3. **The Punjab Labour Welfare Fund Act,1965 (State Act)**

   This Act provides for the constitution of the Labour Welfare Fund for the financing and to carry on various activities conducive to the welfare of labour in the State of Haryana. This Act requires contribution of Rs. 0.2 % of earned wages (Maximum cap of Rs. 25/-) as employee share and Rs. 0.4% of earned wages (maximum cap of Rs. 50/-) as employer share per month.

4. **The Employees Compensation Act,1923**

   The Act provides for payment of compensation to the employees and their dependents in case of any disability or death caused by an accident arising out of and in course of employment.

5. **The Payment of Gratuity Act,1972**

   The Act provides for the payment of gratuity to workers employed in every Factory, Shop & Commercial Establishments or educational institution employing 10 or more persons on any day of the preceding 12 months.

6. **The Payment of Wages Act,1936**

   The Act regulates the payment of wages to certain classes of persons employed in factories / industries. The Act guarantees payment of wages in time and without any deductions except those authorized under the Act.

7. **The Minimum Wages Act,1948**

   The Act ensure payment of minimum wages and also provides for fixing minimum rates of wages in certain employments.

कुल पंजीकृत श्रमिकों की संख्या

प्रश्न संख्या *37 श्री राम कुमार (एम0एल0ए0– इन्द्री) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री कृप्या बताएगें कि जिला करनाल में ब्लॉक–वाईज कुल पंजीकृत श्रमिकों की वर्तमान में संख्या क्या है?

जवाब श्री अनुप धानक, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, हरियाणा

जिला करनाल में पंजीकृत श्रमिकों की कुल संख्या नीचे दी गई है:–

(i) कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्याः 44,400

(ii) दुकानात एवं वाणिज्यक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्याः 34,623

(iii) हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 29,643

वर्तमान में ब्लॉक–वाईज श्रमिकों की संख्या एकत्रित नहीं की जाती है। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या तहसील–वाईज निम्न प्रकार से है:

असंध	**2029**
घरौंडा	**4786**
इन्द्री	**4040**
करनाल	**15293**
निलोखेड़ी	**3495**

नोट फार पैड

1– कारखाना अधिनियम, 1948

यह अधिनियम कारखानों के अन्दर काम करने की शर्तों को नियंत्रित करता है। नियोक्ता की ओर से नियोजित श्रमिकों को स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण प्रदान करना अनिवार्य है।

2– पंजाब दुकानात एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 **(**राज्य अधिनियम**)**

यह दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम और रोजगार की शर्तों के नियमन का प्रावधान करता है। इसमें दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का प्रावधान है।

3– पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 **(**राज्य अधिनियम**)**

यह अधिनियम वित्त पौषण के लिए श्रम कल्याण कोष के गठन और हरियाणा राज्य में श्रमिकों के कल्याण के लिए अनुकूल, विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए प्रदान करना है। इस अधिनियम में अर्जित मजदूरी का 0.2 प्रतिशत कर्मचारी अंश के रूप में (अधिकतम राशि सीमा 25 रूपये) तथा अर्जित मजदूरी का 0.4 प्रतिशत नियोक्ता अंश के रूप में (अधिकतम राशि सीमा 50 रूपये) योगदान की आवश्यकता है।

4– कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923

इस अधिनियम में कर्मचारियों और उनके आश्रितों को किसी भी प्रकार की विकलांगता या रोजगार के दौरान् दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजें के भुगतान का प्रावधान है।

5– ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972

यह अधिनियम प्रत्येक कारखाने, दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थानों या शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत श्रमिकों को पिछले 12 महिनों के किसी भी दिन 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए ग्रेच्युटी के भुगतान का प्रावधान करता है।

6– मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

यह अधिनियम कारखानों/उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों के कुछ वर्गों को मजदूरी के भुगतान को नियंत्रित करता है। अधिनियम के तहत अधिकृत को छोड़कर, अधिनियम समय पर और बिना किसी कटौती के मजदूरी के भुगतान की गारंटी देता है।

7– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करता है, और कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने का भी प्रावधान करता है।